न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–209/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम पंकज कुमार सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04/2/2020	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–799/म0नि0को0, दिनांक 22.08.2019 से प्राप्त सदर थाना कांड सं0–107/19 दिनांक 19.03.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन पैसन प्रो मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07AA-1324 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी कुमोद कुमार सिंह, पिता–लक्ष्मी नारायण सिंह, साकिन–बेलहा, पो0–धेमू बैरिया, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् वे इस वाद में उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–18044/19 दायर करने की सूचना एवं कारण पृच्छा हेतु समय की मांग की गयी। समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी वे कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये। इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल होली पर्व के अवसर पर फ्लैग मार्च में थाना से प्रस्थान किया। जब भैलूचक चौक के पास पहुँचे कि एक मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AA-1324 पर सवार एक व्यक्ति अपने पीठ पर एक काला रंग का बैग रख कर आ रहा था संदेह होने पर मोटरसाईकिल रोककर उक्त बैग की तलाशी दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष ली गयी तो उक्त काला रंग के बैग से रॉयल स्टैग 750*ml* का एक बोतल विदेशी शराब बरामद किया। जिसे उक्त मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त मोटरसाईकिल के चालक के बैग से मात्र 750*ml* शराब बरामद हुआ है और प्रथम दृष्ट्या वाहन स्वामी इस वाद के अभियुक्त नहीं हैं। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मोटरसाईकिल के चालक के बैग से 750*ml* का एक बोतल शराब बरामद हुआ है। जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया है। विपक्षी वाहन स्वामी इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित हुए हैं परन्तु कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न वादों में दिये गये आदेश की लंबित वादों का निष्पादन यथाशीघ्र किया जाय। उक्त के आलोक में एकपक्षीय सुनवाई की गयी। चूँकि बिहार राज्य में किसी भी प्रकार से अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। परन्तु मात्र 750*ml* शराब बरामद होना अवैध शराब का व्यापारिक दृष्टिकोण

से परिवहन किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उक्त वाहन का राज्यसात् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव सदर थाना कांड सं0–107/19 दिनांक 19.03.2019 में जब्त वाहन पैसन प्रो मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07AA-1324 के विमुक्ति हेतु बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति वाहन स्वामी द्वारा दाखिल करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करें। इस आशय की सूचना विपक्षी वाहन स्वामी को दें।

अभिलेख पुनः दिनांक 20/2/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा